(16) (124)

निग0-3237/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म0प्र0

डॉ0 हामिद अली काजी, उम्र 65 वर्ष, तनय मरहूम मोहम्मद अली काजी, पेशा चिकित्सक, साकिन पाण्डेन टोला अडार, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

.... निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार बंसल, निवासी समान, थाना समान, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

.... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्र0 04/अ–12/2017–18 में पारित निर्णय दिनांक 5.5.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.05.2018 विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

(16)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 3237 / रीवा / 2018 जिला–रीवा

डा0 हामिद अली / सीमा बंसल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री इश्तियाक अहमद उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 04 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	